# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 245/2022 निर्णय दिनांक :– 22.05.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. भँवर लाल पुत्र मेवा जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. शंकर पुत्र काना जाति बलाई उम्र 64 वर्ष निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. लादू पुत्र रामा जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कैलाश पुत्र. जगदीश जाति खाती निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. कैलाशी पुत्री जगदीश जाति खाती निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0

हजफ

4. पुषामल पुत्र बद्री जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. भूरी पत्नी जगदीश जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. मथुरा पत्नी बद्री जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0

हजफ

7. महावीर पुत्र जगदीश जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. शंकर पुत्र जगदीश जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सीताराम पुत्र जगदीश जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. कान्ता पत्नी कैलाश जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. किशनी पत्नी महावीर प्रसाद जाति खाती उम्र बालिग निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. श्रीमान तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री रामलाल कटारिया

श्री बाबूलाल कटारिया

श्री राजेन्द्र शर्मा

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9

अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या
10/1 ता 10/6

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) व धारा 209 आर.टी.एक्ट**
**वास्ते घोषणा किये जाने गैर मुमकिन रास्ता**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी खाता सं. 216 खसरा नं. 1962 रकबा 2.87 है0 तथा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 296 खसरा नं. 1954 वाके ग्राम कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जो स्वंय के हिस्से की है। खसरा नं. 1954 प्रार्थी सं. 2 के खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि जिसका खसरा नं 1966, 1967 व 1953 भूमि प्रार्थीगण के पडौस में स्थित है। खसरा नं. 1967 रोड़ से लगा हुआ है उसके बाद 1966 और 1953 है। हम प्रार्थीगण खसरा नं. 1967, 1966 व 1953 के उत्तरी मेड से हम प्रार्थीगण हमारे खेतों में काश्त करने के लिये आते व जाते है । अप्रार्थी सं. 1 का खेत रोड़ से लगा है उसके बाद खसरा नं 1966 व 1953 है। हम लोगों की कृषि भूमि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि से आगे स्थित है। हम प्रार्थीगण को हमारी कृषि भूमि पर काश्त करने के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 1965 व खसरा नं 1966, 1967 के उत्तरी मेड़ से हमारे खेतों ने आते जाते हैं। हम प्रार्थीगण के लिये खेतों में आने जाने के लिये विधिवत कोई रास्ता नहीं है। जब फसले बो दी जाती है और फसल बड़ी हो जाती है तो फसलों में नुकसान होने का भय दिखा कर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को अपने खेतों में आने जाने से रोकते है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खेतों में समय पर काश्त नहीं कर पाते है और हांकने जोतने के लिये ट्रेक्टर ट्रोली को हमारे खेतों पर अप्रार्थीगण नहीं ले जाने देते है। उक्त खेतों के बीच में रोड़ से हमारे खेतों के बीच में कोई विधिवत रास्ता नहीं है। इस कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से आये दिन झगड़ा करते रहते है और हमारे ट्रेक्टर ट्रोली को हमारे खेतों में आने जाने नही देते है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की कृषि भूमि मे काश्त करने में परेशानी होती है और समय पर फसल काश्त नही कर पाते इससे प्रार्थीगण को काफी हानि उठानी पडती है। कभी कभी तो अप्रार्थीगण कांटे बाड़ आदि लगा कर रास्ता बिल्कुल बन्द कर देते है हमे निकलने नहीं देते है इस लिये रास्ते को लेकर विवाद लडाई

झगडा होता रहता है। गाँव के अन्य व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर भी रास्ता नहीं खोलते है। न्यायहित मे यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण को अपने अपने खेत खसरा नं. 1962 व 1954 में हकाई जुताई, निराई बुडाई फसल कटाई सभी प्रकार के कृषि कार्य करने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 1967, 1966 व 1953 की मेड़ से प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि तक अर्थात रोड से प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक आने जाने के लिये 20 फीट का चौडा रास्ते की अतिआवश्यकता है जो दिलाया जावे और राजस्व रिकार्ड मे नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण को दिये जाने वाले रास्ते को तरमीम किया जाकर जमाबन्दी मे रास्ता गै. मु. दर्ज करवाया जावें क्योकि कृषि कार्यो के लिये ट्रेक्टर आवश्यक साधन है इसलिये ट्रेक्टर के आने जाने व निकलने के लिये 20 फीट रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ने से दिये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार बनने वाली शुल्क राशि सरकार मे जमा करवाने को तैयार है। अप्रार्थीगण सं. 12 को लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र मे अंकित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 1962 वं 1954 पर काश्त करने के लिये आने जाने के लिये अनार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं 1967, 1966 व 1953 जो ग्राम कासीर तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है, की मेड पर रोड़ से प्रार्थीगण की कृषि भूनि पर आने जाने के लिये 20 फीट चोड़ा रास्ता दिलाया जावें तथा ग्राम कासीर के राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस ने तरमीम करवाया जाकर जमाबन्दी मे रास्ता गै0 मु0 दर्ज करवाये जाने के आदेश फरमाया जाने की कृपा की जावें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ,2, 4, 6, 7 ,8, 9, 10, 11 की ओर से राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 3 व 5 को हजफ किया गया।

अप्रार्थीगण कैलाश, महावीर, सीताराम, किशनी, कान्ता, लादूराम की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 आंशिक रूप से स्वीकार है। खसरा नम्बर 1962 में अकेला प्रार्थी संख्या 1 खातेदार

नही है बल्कि उसके अलावा 9 अन्य खातेदार है जिनका राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित है जिसे प्रार्थी संख्या 1 ने पक्षकार नही बनाया है और सहखातेदारो में से भी कुछ पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात अपने स्वयं के हिस्से में आयी हो ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नही किया है। ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण अपने खेतो में खसरा नम्बर 1960 की मेर पर होकर खसरा नम्बर 1964 एवं 1963 की उत्तरी दिशा की तरफ से आते जाते है एवं खसरा नम्बर 1933 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 1934, 1935 एवं 1955 में से होकर भी आते जाते रहे है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर अपने खेतो मे नही गये है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर अपनी आराजीयात पर हंकाई बुवाई कराने के लिये नही गये है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात मे जाने का रास्ता पहले से ही मौजूद है। प्रार्थीगण पुराने समय से ही आराजी खसरा नम्बर 1960 की मेर पर होकर खसरा नम्बर 1964 एवं 1963 की उत्तरी दिशा की तरफ से आते जाते रहे है एवं खसरा नम्बर 1933 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 1934, 1935 एवं 1955 में से होकर भी आते जाते रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास पहले से ही अपने खेतो मे जाने के लिये रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कभी भी रास्ते के मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा नही हुआ है क्योंकि प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर अपनी आराजीयात पर आये गये नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर अपनी आराजीयात पर हंकाई बुवाई कराने के लिये नहीं गये है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात में जाने का रास्ता पहले से ही मौजूद है। प्रार्थीगण पुराने समय से ही आराजी खसरा नम्बर 1960 की मेर पर होकर खसरा नम्बर 1964 एवं 1963 की उत्तरी दिशा की तरफ से आते जाते रहे है एवं खसरा नम्बर 1933 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 1934, 1935 एवं 1955 में से होकर भी आते जाते रहे है। प्रार्थीगण को रास्ते की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर अपनी आराजीयात पर हंकाई बुवाई कराने के लिये नही गये है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात मे जाने का रास्ता पहले से ही मौजूद है। प्रार्थीगण पुराने समय से

हो आराजी खसरा नम्बर 1960 की मेर पर होकर खसरा नम्बर 1964 एवं 1963 की उत्तरी दिशा की तरफ से आते जाते रहे है एवं खसरा नम्बर 1933 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 1934, 1935 एवं 1955 में से होकर भी आते जाते रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास पहले से ही अपने खेतो मे जाने के लिये रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कभी भी रास्ते के मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा नही हुआ है । क्योंकि प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर अपनी आराजीयात पर आये गये नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर अपनी आराजीयात पर हंकाई बुवाई कराने के लिये नहीं गये है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात में जाने का रास्ता पहले से ही मौजूद है। प्रार्थीगण पुराने समय से ही आराजी खसरा नम्बर 1960 की मेर पर होकर खसरा नम्बर 1964 एवं 1963 की उत्तरी दिशा की तरफ से आते जाते रहे है एवं खसरा नम्बर 1933 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 1934, 1935 एवं 1955 में से होकर भी आते जाते रहे है। प्रार्थीगण को रास्ते की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। **विशेष आपतियां** :– प्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 1962 में रास्ता चाहने के लिये अकेले ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि खसरा नम्बर 1962 मे अकेला प्रार्थी संख्या 1 खातेदार नहीं है बल्कि उसके अलावा 9 अन्य खातेदार है जिनका राजस्व रिकार्ड मे नाम अंकित है जिनको प्रार्थी संख्या 1 ने पक्षकार नही बनाया है और सहखातेदारो मे से भी कुछ पक्षकारो की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात अपने स्वयं के हिस्से में आयी हो ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नही किया है ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। मोके पर प्रार्थीगण ने जहां से रास्ता मांगा है वहां पर कृषि पेदावार रखने एवं जानवरो का चारा रखने के लिये पक्का मकान बना हुआ है एवं एक तरफ फार्म पोण्ड बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 3 कैलाशी पुत्री जगदीश की मृत्यु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी एवं कैलाशी के जाइन्दा वारिस मोजूद है जिनको भी प्रार्थीगण ने अब तक भी पक्षकार नही बनाया है। अप्रार्थी संख्या 3 कैलाशी एवं अप्रार्थी संख्या 5 भूरी की मृत्यु होने के संबंध में तहसीलदार जी की मौका रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। प्रार्थीगण ने उक्त

प्रार्थना पत्र में संशोधन करवाने हेतु दो बार माननीय न्यायालय मे आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन उन पर सुनवाई हुये बिना ही प्रार्थीगण ने संशोधन प्रार्थना पत्र पेश कर दिया और बाद में दिनांक 31.08.2023 को प्रार्थीगण ने उक्त दोनो आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिये ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण में संशोधित प्रार्थना पत्र नही पढ़ा जायेगा इसलिये अप्रार्थीगण ने मूल प्रार्थना पत्र का ही जवाब माननीय न्यायालय में पेश किया है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 12.12.2023 को माननीय न्यायालय में दुबारा मोका रिपोर्ट पेश करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसका जवाब प्रार्थीगण ने उसी दिन माननीय न्यायालय में पेश किया जिसमे उन्होने लिखा है कि अप्रार्थी संख्या 10/1 ता 10/6 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई रिलिफ नहीं चाहिये ऐसी स्थिति में भी प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता चाहने के हकदार नहीं रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

अप्रार्थीगण संख्या 12 तहसीलदार देवली ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः—प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में कृषि कार्य के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। आदेशानुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुसार प्रस्तावित रास्ते की खसरा नम्बर 1967 रकबा 0.65 है0 में चोडाई 6.10 मीटर लम्बाई 30 मीटर क्षेत्रफल 20525 वर्गमीटर खसरा नम्बर 1966 रकबा 1.17 है0 मे चौडाई 6.10 मीटर लम्बाई 83 मीटर क्षेत्रफल 0.0507 वर्ग मीटर खसरा नम्बर 1953 रकबा 1.32 है0 में चौडाई 6.10 मीटर लम्बाई 96 मीटर क्षेत्रफल 0.0586 वर्गमीटर अर्थात कुल क्षेत्रफल 01618 वर्गमीटर है। चाहे गये प्रस्तावित रास्ते की ग्राम की मुख्य आबादी से दूरी लगभग 1130 मीटर है। वर्तमान बीएलसी दर 492615 रु प्रति है0 है। जिसकी एक गुना राशि 79761 रूपये व दुगनी प्रतिकर राशि 199412 रुपये बनते है। आवेदकों की आराजी नम्बर 1954 रकबा 2.81 है0 खातेदार शंकर पुत्र खाना बलाई सा0देह खातेदार रहिन बैंक आफ बडोदा शाखा देवली व खसरा नम्बर 1962 रकबा 2.87 है0 में आवेदक भंवरलाल पुत्र मेवा जाट सा0देह का हिस्सा 1/21 दर्ज है। शेष में अन्य सह खातेदारान के नाम खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबन्दीया उक्त आराजीयात की संलग्न है। खसरा नम्बर 1966, 1967, 1953 में से 20 फिट अर्थात लगभग 6.10 मीटर चौडाई का रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरचना पेड आदि नहीं है। आर्थीगण में से क्र0स0 8 पर दर्ज अप्रार्थी शकर पुत्र

जगदीश खाती जिसमे पिता का नाम आवेदन में गलत दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम बद्री दर्ज है। उसने रास्ता देने से मना किया प्रार्थनापत्र में अप्रार्थीगण 3 पर दर्ज कैलाशी व क0स0 5 पर दर्ज भूरी को फौत होना बताया है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बंधित नहीं है। जमाबन्दी नक्शा ट्रेस व डीएलसी दर की छायाप्रति सलग्न कर श्रीमान कि सेवा में कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार होने से अप्रार्थीगण चांदमल पुत्र गोकुल जाति ब्राहम्ण को अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। चांदमल के पक्षकार बनाये जाने के बाद प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा, जो तारीख पेशी दिनांक 14.11.22 व दिनांक 24. 7.23 को प्रा. पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया था, जिनको अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तारीख पेशी 31.08.23 को विड्रो में खारिज करवा लिया। जिससे मूल प्रासंगिक प्रार्थना पत्र ही अस्तित्व में रहा।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट 02.08.2022 की है जिसके बाद मौके की स्थिति में परिवर्तन आ गया है । अतः पुनः तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की प्रार्थना स्वीकार की गई और तहसीलदार देवली को पत्रांक न्याया/राजस्व/24/181 दिनांक 21.02.2024 से पुनः रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया।

तहसीलदार देवली से कमांक 939/राजस्व/2024 दिनांक 16.05.24 से रिपोर्ट प्राप्त जो इस प्रकार है:—ग्राम कासीर में खसरा न0 1954 रकबा 02.81 है0 किस्म बारानी पर जो रिकोर्ड में शकर पुत्र काना जाति बलाई सा. देह के नाम दर्ज है व खसरा न0 1962 रकबा 0.2.87 है0 किस्म बारानी प्रथम जो रिकोर्ड जमाबंदी सम्वत 2075—78 जमाबंदी 2076 में स्थायी में पोखर पुत्र कुरी, बरदी, मनभर 4/7 पुत्रीया कल्याण रतना पुत्र कल्याण 2/7, हेमराज लेखराज 2/63, पुत्र गुलाब देवी पत्नी केसरलाल 1/63, दाखा पुत्री मेवा 1/21 भवरलाल पुत्र मेवा 1/21 जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज है। जिसमें रास्ता चाहा गया था. आज दिनाक 02.04.2024 को मौका निरीक्षण किया तो पाया कि खसरा न0 1968 रकबा 0.87 किस्म गै0सु0

रास्ता से लगते हुये खसरा न0 1967 रकबा 0.50 है0 के उत्तर में पश्चिम से पूर्व चौडाई 6.10 मीटर, लम्बाई 86 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0525 वर्गमीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया था। इस खसरा नम्बर प्रस्तावित रास्ते पर उत्तरा न0 1967 के खातेदार द्वारा पक्का मकान बना दिया है जिसकी लम्बाई 10 मीटर व चोडाई 9 मीटर कुल 80 मीटर है। खसरा न0 1966 रकबा 01.17 में भी चौडाई 6.10 मीटर व लम्बाई 83 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0507 मीटर रकबा रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया था। लेकिन इस खसरा नम्बर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। खसरा न0 1953 रकबा 1.32 है0 में भी चौड़ाई 6.10 मीटर व लम्बाई 96 मीटर कुल 588 मीटर रकबा रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया था। इस खसरा नम्बर में प्रस्तावित रास्ते में खसरा नं. 1953 के खातेदार द्वारा मिट्टी उठाकर खड्ड़ा कर दिया गया है. जिसकी लम्बाई 44 मीटर व चौडाई 7 सीटर व गहराई 2 मीटर है। इस तरह ग्राम कासीर के खसरा न0 1965 जो रास्ते के खसरा न0 1968 से लगता है एवं प्रस्तावित रास्ते के शुरूआत में उत्तर दिशा की और है में रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया था। लेकिन खातेदार द्वारा मिट्टी उठाकर खड्डा खोद दिया गया है जिसकी लम्बाई 17 मीटर व चौडाई 8 मीटर व गहराई 2 मीटर है। प्रार्थीगण की आराजी में पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक है। अतः जमाबंदी नजरी नक्शा सलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली पुनः बहस में नियत की गई।

दौराने बहस प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण भी मय अधिवक्ता उपस्थित रहे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार जी से प्राप्त दोनो रिपोर्ट से स्पष्ट है कि हमारी आराजी आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। पूर्व रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पूर्व में चाहे गये रास्ते की आराजी ख. नं. 1967 व 1953 पर किसी भी प्रकार की संरचना मकान, गड्डा आदि नहीं थे परन्तु अप्रार्थीगण ने रास्ता नहीं देने के मकसद से तहसीलदार जी द्वारा प्रस्तावित रास्ते में उक्त संरचनाएं बना दी। जिस खसरा नम्बर बाबतं रास्ता चाहिए वह प्रार्थी नं. 1 के कब्जेकाश्त में है ,अन्य सहखातेदार को इस बाबत कोई आपति नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा अन्य खसरा नम्बरो से आना जाना बताया है जो बिल्कुल गलत है।

न्यायालय से निवेदन है कि हमारी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार जी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री राजेन्द्र शर्मा ने अपने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को आराजी में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता अपलब्ध है प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए रास्ता चाहते है जबकि प्रस्तावित रास्ते के मध्य चारा रखने के लिए पक्का मकान व फॉर्म पोन्ड बना हुआ है । प्रस्तावित खसरा नम्बरो से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। अधिवक्ता ने यह आपति भी उठाई कि अप्रार्थी संख्या 3 के वारिसान को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था और सहखातेदारान के बिना ही प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो उचित नहीं है, प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं होने व वैकल्पिक रास्ता होने से, प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थीगण व अधिवक्ता प्रार्थीगण ने रिब्टल में कथन किया कि खसरा नम्बर 1962 के लिए प्रार्थीगण संख्या 1 रास्ता चाहता है, यह खसरा नम्बर भाई बंटवारे में प्रार्थीगण संख्या 1 के कब्जे में आया है और प्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जाकाश्त है, इस बाबत अन्य सहखातेदारान को कोई आपति नहीं है तथा प्रार्थीगण संख्या 1 के ख. नं. 1962 तक रास्ता दे दिया जावे तो ख. नं. 1954 के खातेदार प्रार्थीगण संख्या 2 को व उसके सहखातेदारी के ख. नं. 1962 में से आने जाने हेतु कोई एतराज नहीं करेगा। अप्रार्थी संख्या 3 कैलाशी के वारिसान के लिए प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 न्यायालय द्वारा पूर्व में ही खारिज कर दिया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ता बताया है परन्तु उस रास्ते में लगभग पूरे वर्ष पानी भरा रहता है व उसकी दूरी भी प्रार्थना पत्र में चाहे रास्ते से बहुत ज्यादा है। अतः तहसीलदार द्वारा पूर्व में प्रस्तावित रास्ता में, जहां मकान बना दिया गया है, उसके दोनो तरफ व आगे से रास्ता दे दिया जाये। उसके लिए जो भी डीएलसी दर होगी वह जमा कराने के लिए तैयार है। है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता आलोक शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने चांदमल के वारिसान जो ख. नं. 1965 के खातेदार है, से कोई रिलिफ नहीं मांगी है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जो खसरा नम्बर 1965 से रास्ते बाबत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था

उसको भी प्रार्थीगण द्वारा विड्रा किया जा चुका है। अतः खसरा नम्बर 1965 से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल जमाबन्दी ग्राम कासीर सम्वत 2075–78 के अनुसार ख. नं. 1962 में प्रार्थीगण संख्या 1 भंवरलाल पुत्र मेवा का 1/21 हिस्सा दर्ज है व ख. नं. 1954 प्रार्थीगण संख्या 2 शंकर पुत्र काना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार देवली द्वारा दिनांके 28.07.22 को प्रेषित रिपोर्ट व दिनांक 16.05.2024 को पुनः मौका रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर किया है कि प्रार्थीगण की आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है व प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है।

प्रतिपक्ष द्वारा बहस के दोरान उठाई गई आपति की अप्रार्थी संख्या 3 के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। पत्रावली में संलग्न निर्णय दिनांक 29.01.2024 को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णित किया गया है जिसको लेकर अप्रार्थीगण द्वारा कोई रिविजन पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 के वारिसान को लेकर दोराने बहस प्रस्तुत आपति पूर्व में निर्णित होने के कारण खारिज की जाती है।

अप्रार्थीगण द्वारा दोराने बहस यह कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान बाबत अन्य वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है जबकि दोराने बहस न्यायालय में उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा बताये गये नक्शे का न्यायालय द्वारा गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि जिस वैकल्पिक रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया है वह लम्बा है व बरसाती मौसम में उसमें पानी भरा रहता है और वह भी कोई प्रचनल का रास्ता पूर्व में नही रहा है। बरसाती मौसम मे पानी भरने के कथन को अप्रार्थीगण द्वारा भी स्वीकार किया तथा तहसीलदार द्वारा भी इसको वैकल्पिक रास्ता नही बताया है। अतः उक्त आपति को निराधार होने से खारिज की जाती है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस में यह कथन भी किया कि तहसीलदार देवली द्वारा पुनः मौका जांच रिपोर्ट में पूर्व में प्रस्तावित रास्ते में ख. नं. 1967 में 9 मी. चौड़ा व 10 मीटर लम्बा पक्का मकान बना दिया गया है, का उल्लेख किया है। अतः उक्त खसरा नम्बर में मकान बनाये जाने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। पत्रावली में शामिल तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 28.07.22 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट

से खसरा नम्बर 1967 में से 0.0525 वर्ग मी. व ख. नं. 1966 में से 0.0507 वर्ग मी. व ख. नं. 1953 में से 0.0586 वर्ग मी. रास्ते का प्रस्ताव मय नक्शा रास्ते को लाल स्याही से दर्शाते हुए प्रेषित किया गया है, जिसमें रास्ते के मध्य कोई संरचना आदि नहीं बताया गया है। तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 16.05.24 को न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें ख. नं. 1967 में 10 मी. लम्बा व 9 मी. चौड़ा मकान खातेदार द्वारा बनाये जाने का उल्लेख किया है । इसी तरह ख. नं. 1953 में भी खातेदार द्वारा मिट्टी उठाकर गड्डा करने का उल्लेख किया है। ख. नं. 1965 के खातेदार ने भी मिटटी उठाकर गडडा खोदे जाने का उल्लेख रिपोर्ट में किया है जबकि पूर्व की रिपोर्ट में इन खसरा नम्बरो में कोई मिटटी का उठाव नहीं किया गया था। अर्थात अप्रार्थीगण ने इरादतन तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 28. 07.22 को रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद पक्का मकान व गडडे का निर्माण किया है।

तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1962 व 1954 में पहुंच के लिए अप्राथीगण के खसरा नम्बर 1967 , 1966 व 1953 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आज की स्थिति में यदि खसरा नम्बर 1965 से होकर के रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो उसमें भी 1965 के खातेदार द्वारा गड्डा खोदा हुआ है और यदि अन्य जगह से प्रार्थीगण को रास्ते बाबत न्यायालय द्वारा निर्देश भी दिये जाते है तो प्रार्थना पत्र के निर्णय की स्थिति तक जिन खसरा नम्बरान से रास्ता प्रस्तावित किया जायेगा उन खसरा नम्बरान के खातेदारान द्वारा भी रास्ता न देने की मंशा रखते हुए कोई न कोई अवरोध उस रास्ते में खड़ा कर दिया जायेगा, जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानो की मंशा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उक्त धारा में खातेदार काश्तकारों को उनकी खातेदारी कृषि भूमि तक पहुंच हेतु रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाने का प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु धारा 251 ए की मंशा के अनुरूप रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रा. पत्र में भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता न दिये जाने की मंशा रखते हुए मकान व गडडा खोदकर अवरोध किया है जबकि तहसीलदार देवली द्वारा पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट में इस तरह को कोई अवरोध नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रा. पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कासीर की जमाबंदी में दर्ज ख. नं. 1968 जो राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता है, से दिनांक 28.07.22 को प्रेषित रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा में जो रास्ता प्रार्थीगण के खसरा नम्बर तक पहंच हेतु लाल स्याही से प्रस्तावित कर रास्ता दर्शाया गया है, के अनुसार ही खसरा नम्बर 1967, 1966 व 1953 से 6 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1962 तक दिया जावे। ख. नं. 1967 में से 10 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा, पक्का मकान, जो खातेदार द्वारा दोराने न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र, बनाया गया है, जिसका उल्लेख तहसीलदार देवली द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2024 में किया है। उक्त खसरा नम्बर में पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट में जो रास्ता दर्शाया गया है उसकी निरन्तरता में उसी खसरा नम्बर में बने हुए मकान के लगते हुए दोनो साईडो से पूर्व व पश्चिम में व दक्षिण की ओर मकान के सामने होते हुए 6 मीटर चौडाई के रास्ते की लम्बाई को पुनः मापकर व ख. नं. 1966 में से चौडाई 6 मी. व लम्बाई 83 मी., ख. नं. 1953 में से चौडाई 6 व लम्बाई 6 मीटर, जिससे कि ख. नं. 1962 में प्रवेश किया जा सके, के रकबे तक नापघोप कर कुल रकबे की वर्तमान में प्रचलित डी. एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। यह राशि सम्बन्धित अप्रार्थीगण खातेदार को उनके हिस्से अनुसार संदाय करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास दिनांक 22.05.2024 को सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
देवली